सोनभद्र पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 20.09.2026

- **थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस एवं एस.ओ.जी. टीम को मिली महत्वपूर्ण सफलता**
- **फर्जी दस्तावेजों के आधार पर स्क्रैप लदे ट्रक को कब्जे में लेकर मिर्जापुर ले जाकर स्क्रैप बेचने एवं ट्रक कटवाने की घटना का सफल अनावरण**
- **03 अभियुक्त गिरफ्तार, ₹5 लाख नकद, करीब ₹15 लाख कीमत के ट्रक के कटे कल-पुर्जे, 04 मोबाइल फोन एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद**

पुलिस अधीक्षक सोनभद्र **श्री अभिषेक वर्मा** के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में तथा अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन **श्री ऋषभ रुणवाल,** अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय **श्री अनिल कुमार** एवं क्षेत्राधिकारी नगर **श्री रणधीर मिश्र** के पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना रॉबर्ट्सगंज श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह एवं एस.ओ.जी. प्रभारी श्री राम स्वरूप वर्मा के नेतृत्व में **थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस एवं एस.ओ.जी. टीम** को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस द्वारा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर स्क्रैप लदे ट्रक को कब्जे में लेकर मिर्जापुर ले जाकर स्क्रैप बेचने एवं ट्रक को कटवाने की घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक **12.09.2026** को आवेदक **ब्रह्मप्रसाद पाण्डेय पुत्र नागेन्द्र नाथ पाण्डेय, निवासी मेन रोड रेनुकूट, शिवा पार्क**, द्वारा तहरीर दी गई कि दिनांक **09.09.2026** को **बरगवां, सिंगरौली (म.प्र.)** से **24 टन 900 किग्रा स्क्रैप आयरन** खरीदकर ट्रक संख्या **UP62 T9881** से **महामाया स्पात कम्पनी, चुनार, मिर्जापुर भेजा** गया था। ट्रक चालक से दिनांक **10.09.2026** को फोन पर संपर्क करने पर उनके द्वारा बताया गया कि लोढ़ी टोल प्लाजा के पास सुबह करीब **05:10 बजे** अज्ञात वाहन स्वामी द्वारा उन्हें ट्रक से उतारकर **₹500 देकर वाराणसी भेज दिया गया**, जिसके बाद स्क्रैप लदे ट्रक का कोई पता नहीं चला। जिसके संबंध में थाना रॉबर्ट्सगंज पर पंजीकृत **मु0अ0सं0 757/2026 धारा 316(2), 338, 336(2), 340(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया।** की विवेचना के दौरान वाहन संख्या UP62T9881 का **स्वामी मनोज यादव पुत्र प्रेमप्रकाश यादव** पाया गया। विवेचना के दौरान CDR/SDR के अवलोकन, तकनीकी विश्लेषण, CCTV/मार्ग की पड़ताल एवं अन्य भौतिक साक्ष्यों के आधार पर घटना से सम्बन्धित व्यक्तियों के आपसी सम्पर्क एवं गतिविधियों के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में आए। विवेचना में प्रकाश में आया कि **नीरज यादव एवं उमाकान्त यादव** द्वारा आपस में सम्पर्क एवं योजना बनाकर स्क्रैप लदे ट्रक को कब्जे में लेकर मिर्जापुर ले जाया गया, जहां ट्रक में लदे स्क्रैप को विक्रय कराने के उपरान्त ट्रक को कबाड़ गोदाम में कटवाकर उसके विभिन्न कल-पुर्जे एवं अवशेष अलग-अलग कर दिए गये ।

कृत कार्यवाही- दिनांक 19.09.2026 को थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस एवं एस.ओ.जी. टीम द्वारा जनपद मिर्जापुर स्थित **पीएसी 39वीं वाहिनी गेट नं0-02 के सामने स्थित कबाड़/स्क्रैप गोदाम** पर दबिश दी गई। मौके से धीरज यादव, भरत लाल उर्फ बल्ला साहू एवं आकाश गुप्ता को **दिनांक 19.09.2026 को समय करीब 19:50 बजे गिरफ्तार** किया गया। अभियुक्तों के कब्जे एवं मौके से कुल ₹5,00,000/- नकद, ट्रक संख्या UP62T9881 के कटे हुए विभिन्न कल-पुर्जे एवं अवशेष, 04 मोबाइल फोन तथा घटना में प्रयुक्त बिना नम्बर की काले रंग की TVS Sport मोटरसाइकिल बरामद की गई।बरामद धनराशि में भरत लाल उर्फ बल्ला साहू के कब्जे से ₹4,00,000/-, धीरज यादव के कब्जे से ₹50,000/- एवं आकाश गुप्ता के कब्जे से ₹50,000/-, कुल ₹5,00,000/- बरामद हुए। मौके पर बरामद ट्रक के कटे हुए हिस्सों एवंउपलब्ध चेसिस/पहचान चिन्हों की वाहन स्वामी द्वारा पहचान की गई। विवेचना एवं बरामदगी से प्राप्त तथ्यों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में **धारा 317(2), 317(5) एवं 61(2)(क) बीएनएस की बढ़ोत्तरी** की गई है।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त भरत लाल उर्फ बल्ला साहू द्वारा पूछताछ में बताया गया कि वह कबाड़ का कारोबार करता है तथा दिनांक 11.09.2026 को नीरज यादव एवं उमाकान्त यादव ट्रक लेकर उसके पास आए थे। उनके द्वारा ट्रक में लदे स्क्रैप को बेचने तथा ट्रक को कटवाने के सम्बन्ध में बातचीत की गई थी। अभियुक्त द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा उक्त स्क्रैप को खरीद लिया गया तथा ट्रक को कटवाने की कार्रवाई कराई गई। अभियुक्त धीरज यादव द्वारा पूछताछ में बताया गया कि नीरज यादव उसका छोटा भाई है तथा उमाकान्त यादव उसकी रिश्तेदारी का है। नीरज यादव एवं उमाकान्त यादव के साथ मिलकर स्क्रैप लदे ट्रक को प्राप्त करने की योजना बनाई गई थी। ट्रक को कब्जे में लेकर मिर्जापुर लाया गया, जहां उसमें लदे स्क्रैप को विक्रय किया गया तथा ट्रक को कटवाकर उसके विभिन्न कल-पुर्जे अलग-अलग कर दिए गए। अभियुक्त आकाश गुप्ता द्वारा बताया गया कि वह स्क्रैप एवं लोहे के लेन-देन का कार्य करता है तथा दिनांक 14.09.2026 को उक्त स्क्रैप उसके द्वारा खरीदा गया था, जिसे बाद में गलाने हेतु भेज दिया गया। उसके कब्जे से बरामद ₹50,000/- को उक्त स्क्रैप के लेन-देन से सम्बन्धित बताया गया।

अभियुक्तों के कब्जे से बरामद 04 मोबाइल फोन को महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के दृष्टिगत पुलिस कब्जे में लिया गया है। मोबाइल फोन में उपलब्ध घटना से सम्बन्धित सम्पर्क/वार्ता एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक तथ्यों का परीक्षण किया जा रहा है। पूछताछ एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर नीरज यादव एवं उमाकान्त यादव सहित अन्य अभियुक्तों की भूमिका के सम्बन्ध में अग्रिम विवेचना प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण

1. **धीरज यादव पुत्र पन्नालाल यादव**, उम्र करीब 33 वर्ष, निवासी ग्राम घमहापुर, थाना विन्ध्याचल, जनपद मिर्जापुर।
2. **भरत लाल उर्फ बल्ला साहू पुत्र स्व0 ब्रह्मदेव साहू,** उम्र करीब 50 वर्ष, निवासी ग्राम सेमरा बैसुखिया, थाना कोतवाली देहात, जनपद मिर्जापुर।
3. **आकाश गुप्ता पुत्र कैलाश गुप्ता**, उम्र करीब 24 वर्ष, निवासी ग्राम रेवड़ा परसपुर, थाना कोतवाली भदोही, जनपद भदोही।

बरामदगी का विवरण-

- ₹5,00,000/- नकद।
- अनुमानित कीमत ₹15,00,000/- के ट्रक संख्या UP62T9881 के कटे हुए विभिन्न कल-पुर्जे एवं अवशेष।
- 04 अदद मोबाइल फोन।
- घटना में प्रयुक्त बिना नम्बर की 01 अदद TVS Sport मोटरसाइकिल, काले रंग की।

कुल बरामदगी की अनुमानित कीमत ₹20,00,000/-

गिरफ्तार/अनावरण करने वाली पुलिस टीम-

1. एस.ओ.जी. प्रभारी श्री राम स्वरूप वर्मा, जनपद सोनभद्र।
2. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह, थाना रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र।
3. निरीक्षक अपराध श्री बनारसी यादव, थाना रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र।
4. उ0नि0 श्री उमाशंकर यादव, चौकी प्रभारी लोढ़ी, थाना रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र।
5. उ0नि0 श्री अनिल कुमार विश्वकर्मा, चौकी प्रभारी कस्बा, थाना रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र।
6. हे0का0 श्री राम सिंह, का0 श्री अम्बुज रि0का0 श्री आदित्य वर्मा, थाना रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र।

सोनभद्र पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही सतत जारी है।